नियमावली

1–संस्था का नाम– ए एण्ड एच चैरिटेबिल वेलफेयर सोसाइटी।

2–संस्था का पता– मोहल्ला चौधरियान अतरौली जिला–अलीगढ़ उ0प्र0।

3–संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

4–संस्था के उद्देश्य – स्मृति–पत्र में दिये गये उद्देश्यों के अनुसार ही रहेंगे।

5–संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते होंगे एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क देंगे वे इस संस्था के सदस्य सचिव/प्रबन्धक द्वारा विधिवत सदस्यता रसीद प्रदान करने पर ही संस्था के सदस्य बन सकेंगे। जो निम्न वर्ग के होंगे –

संरक्षक सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 11000/–रू0 सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेंगें।

आजीवन सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 5000/–रू0 सदस्यताशुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देंगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होगें।

सामान्य सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को 500/–रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया करेंगें वे इस संस्था के सामान्य सदस्य होंगें।

विशिष्ट सदस्य– ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होगें सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्यों को सचिव/प्रबन्धक दो वर्ष के लिये संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत कर सकेंगे, ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान चंदा संस्था को स्वीकार होगा। ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न होगा।

6–सदस्यता की समाप्ति–1–सदस्य की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर।

2–आचरण भ्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर।

3–किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर।

4–सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर।

5–लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण के बताये अनुपस्थित रहने पर।

6–किसी सदस्य के विरुद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर।

7–सदस्य द्वारा त्याग–पत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।

7–संस्था के अंग– (अ) साधारण सभा।

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

8–साधारण सभा– <u>(अ) गठन</u>– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जावेगा।

<u>(ब) बैठकें</u>– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

<u>(स) सूचना–अवधि</u>–साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम 10 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 1 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित संचार माध्यम जैसे–टेलीफोन, ई–मेल, एस.एम.एस., फैक्स आदि से सदस्यों को दी जावेगी।

सत्य प्रतिलिपि